

To,

Date: 02/12/2019

Deputy Conservator of Forest

Ajmer (Rajasthan)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. **FP/RJ/ROAD/18883/2016.**

Ref: EDS letter no. F14 (Road) 2016/FCA/CCFEDS-I/Dated 26.03.2019

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS letter regarding Forest Diversion Proposal **"Widening and Curve Improvement on Existing Road alignment between Existing chainage 17.350km to 19.600km of Kishangarh - Hanumangarh Mega Highway Project. Village-Chakbeer, Tehsil-Roopangarh, District-Ajmer (Rajasthan)".**

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on **MoEFCC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report of Forest Diversion Proposal No. FP/RJ/ROAD/18883/2016

Point No.	EDS Raised by Forest Department	Reply by User Agency
1	प्रस्ताव में दिनांक 6.2.2019 को इस आशय "हार्ड प्रति प्राप्त नहीं" का आक्षेप दर्ज किया गया था जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 26.02.2019 को उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन भिजवाया गया। प्रस्ताव में दिनांक 27.05.2019 को प्रस्ताव उप वन संरक्षक को अग्रेषित किया गया था जो अन्ततः दिनांक 26.02.2019 को लगभग तीन वर्षों बाद प्राप्त हुआ है। देरी से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि दिया जाना वानछित था एवं कलेक्टर महोदय द्वारा समुत्तुल्य गैर वन भूमि राजस्व ग्राम चकबीड, सुरसरा में आरक्षित कर दी गई थी परन्तु उप वन संरक्षक महोदय अजमेर द्वारा अवगत करवाया गया कि आरक्षित भूमि पर कुछ बाड़े बने हुए है अतः अतिक्रमित भूमि क्षतिपुरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके उपरान्त समुत्तुल्य गैर वन भूमि राजस्व ग्राम सवाईपुरा, तहसील-पिसागंन, में उपलब्ध करवाई गई इस कारण उक्त प्रस्ताव नॉडल अधिकारी तक प्रेषित करने में काफी समय लग गया।
2	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-3 (XVII) में अधिकृत किये गये अधिकारी के आदेश किस दिनांक को जारी किये गये है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	अधिकृत किये गये अधिकारी का ओदश दिनांक 05.02.2018 को जारी किया गया था।
3	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या B-1 में 9 प्रस्तावों में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2015 में जारी है किन्तु अभी तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं होने का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	उक्त प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु विभाग स्तर से सभी कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है।
4	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में वनाधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय बैठक समिति का कार्यवाही विवरण दिनांक 29.07.2016 का संलग्न किया गया है। जबकि ग्राम सभा, उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र मय सभी संलग्नों के साथ ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है एवं हार्ड प्रतिलिपी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
5	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि दिये जाने हेतु जिला कलेक्टर का गैर वन भूमि आरक्षित किये	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि दिये जाने हेतु जिला कलेक्टर का गैर वन भूमि


एन. एस. शोखावत
अधिराशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड, किशनगढ़

	जाने वाले आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।	आरक्षित किये जाने वाले आदेश की प्रति अपलोड कर दि गई है। एवं पार्ट 1 की संशोधित प्रतिलिपी संलग्न है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 11 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अंकित किया गया है भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के क्रम में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है एवं उक्तानुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	आपके कार्यालय से सम्बंधित है।
7	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है किन्तु वह श्रमिक दर 201/- प्रति मानव दिवस पर आधारित है वर्तमान में श्रमिक दरे 213/- प्रति मानव दिवस है अतः संशोधित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	आपके कार्यालय से सम्बंधित है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र हार्ड प्रति के साथ संलग्न किया गया है जबकि इसे ऑनलाईन भी किया जाना प्रस्तावित है।	आपके कार्यालय से सम्बंधित है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं की गई।	आपके कार्यालय से सम्बंधित है।
10	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I के दस्तावेजो यथा जमाबंदी, राजस्व मेप, वचनबद्धता आदि पर प्रति हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है।	आपके कार्यालय से सम्बंधित है।
11	मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा पार्ट III की प्रति हार्ड प्रति के साथ संलग्न नहीं की गई है।	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय अजमेर से सम्बंधित है।
12	मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की गई है जबकि संलग्न पार्ट III में प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय अजमेर से सम्बंधित है।

Place: Kishangarh

Date: 02.12.2019



एन. एस. शेखावत
अधिराशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड, किशनगढ़

Signature of User Agency

Office Seal